संख्या- 6/2016/81/30-3-16-03बी/2008

प्रेषक,

मुहम्मद अख़लाक़ ख़ाँ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 18 जनवरी, 2016

विषय- लखनऊ में इंस्पेक्शन एण्ड सर्टिफिकेशन सेंटर की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-969स0सु0/2015-06प्रावि0/11, दिनॉक 16-09-2015 एवं पत्र संख्या-21स0सु0/2015-06प्रावि0/11-15, दिनॉक 05-01-2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार की शत-प्रतिशत वित्त पोषित योजना के रूप में लखनऊ में इंस्पेक्शन एण्ड सर्टिफिकेशन सेंटर की स्थापना के सम्बन्ध में, भारत सरकार द्वारा जारी रू0 1.50 करोड़ तथा भूमि आदि के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि रू0 32.00 लाख, कुल धनराशि रू0 1.82 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-1/3584/30-3-14-03बी/2008, दिनॉक 02-01-2015 के प्रस्तर-2 में भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या-आरटी 11036/100/2013एमवीएल, दिनॉक 01-08-2013 में किये गये उल्लेख के अनुसार उक्त प्रायोजना की लागत रू0 5.3 करोड़ का उल्लेख किया गया है। भारत सरकार के एक अन्य पत्र संख्या-आरटी 11036/99/2011-एमवीएल, दिनॉक 28-11-2014 द्वारा उक्त प्रायोजना की लागत रू0 12.62 करोड़ निर्धारित की गयी है। अत: शासनादेश संख्या-1/3584/30-3-14-03बी/2008, दिनॉक 02-01-2015 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित लागत रू0 5.03 करोड़ के स्थान पर रू0 12.62 करोड़ पढ़ी जायेगी। तदनुसार उक्त शासनादेश दिनॉक 02-01-2015 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

3- उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या-आरटी 11036/99/2011-एमवीएल, दिनॉक 28-11-2014 द्वारा लखनऊ में इंस्पेक्शन एण्ड सर्टिफिकेशन सेंटर की स्थापना/निर्माण हेतु लागत रू0 12.62 करोड़ स्वीकृत की गयी है, जिसमें दी गयी फांट के क्रमांक-(I) से (XII) में सिविल कान्स्ट्रक्शन कार्य हेतु धनराशि रू0 840.00 लाख का प्राविधान है। उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1505/दस-2014-12(2)/2014, दिनॉक 09-05-2014 के प्रस्तर-2 में निहित निर्देशानुसार सभी केन्द्र वित्त पोषित योजनाओं की धनराशि को राज्य के बजट के माध्यम से जारी किया जायेगा। उक्त निर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 में आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्ष -4059 के अन्तर्गत रू0 2.00 करोड़ तथा अनुपूरक मांग के माध्यम से रू0 5,15,76,000/- कुल धनराशि रू0 7,15,76,000/- का प्रावधान उपलब्ध है। प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा आरटीजीएस के माध्यम से रू0 2.50 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है, जिसे चालान संख्या-5030008, दिनॉक 04-01-2016 द्वारा परिवहन विभाग की प्राप्तियों के लेखाशीर्ष-1055-00-800-05-00 में जमा करा दिया गया है।

लखनऊ में इंस्पेक्शन एण्ड सर्टिफिकेशन सेंटर की स्थापना के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कुल लागत रू0 12.62 करोड़ में सिविल कान्स्ट्रक्शन कार्य हेतु प्रावधानित धनराशि रू0 840.00 लाख को अनुमोदित

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी की गयी धनराशि के सापेक्ष रू0 2.50 करोड़ (रू0 दो करोड़ पचास लाख मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) लखनऊ में इंस्पेक्शन एण्ड सर्टिफिकेशन सेंटर की स्थापना के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार इंटरनेशल सेंटर फार आटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईसीएटी) के मध्य हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय एम0ओ0यू0 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न करके कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी। आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करा लिया जायेगा। साथ ही विशिष्टियों, मानक एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। परिवहन आयुक्त तथा आईसीएटी के द्वारा समय-समय पर कार्य का निरीक्षण किया जायेगा व सामान्य पर्यवेक्षण करते हुए कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करायेंगे। कराये जा रहे कार्यों की वर्तमान में तथा भविष्य में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो, यह भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्ष "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-06-मोटरयान टेस्टिंग स्टेशन-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉं)
विशेष सचिव।

संख्या- 6/2016/81(1)/30-3-2016, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- अवर सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 01 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को उनके पत्र संख्या-आरटी-11036/99/2011-एमवीएल, दिनॉक 28-11-2014 के क्रम में।
6- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था-कांस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0प्र0 जल निगम) द्वारा परिवहन आयुक्त।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सीताराम यादव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in